न्यायालय— सदस्य, प्रथम मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, जिला—ग्वालियर म0प्र0
(समक्ष—साबिर अहमद खान)

Registration No. MJCMACC/184/2026

Filling No.MJCMACC /1791/2026

CNR No.MP0701-005931-2026

Filling Date-14-03-2026

1. श्रीमती सरोज पत्नी स्व. श्री अरविंद सिंह भदौरिया उम्र—43 वर्ष
2. रोहित पुत्र स्व. श्री अरविंद सिंह भदौरिया उम्र—22 वर्ष
3. कु. मंजिल पुत्री स्व. श्री अरविंद सिंह भदौरिया उम्र—20 वर्ष
4. अमित उर्फ कल्लू पुत्र स्व. श्री अरविंद सिंह भदौरिया उम्र—18 वर्ष
5. रघुराज पुत्र स्व. श्री अरविंद सिंह भदौरिया उम्र—14 वर्ष
6. श्रीमती राजकुमारी उम्र—68 वर्ष
7. सुखेरा सिंह पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र सिंह उम्र—23 वर्ष
8. मोनू पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र सिंह उम्र—30 वर्ष
9. दिनेश पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र सिंह उम्र—28 वर्ष

आवेदक क.—5 नाबालिग होने से सरपरस्ती आवेदिका क.—1 श्रीमती सरोज पत्नी स्व. श्री अरविंद सिंह भदौरिया जो आवेदक क.—5 की मां है।

स्थाई निवासीगण—ग्राम खुमान का पुरा, थाना मालनपुर जिला—भिण्ड म.प्र. **.....आवेदकगण**

बनाम

1. भारत सिंह पुत्र भगवान सिंह उम्र—51 वर्ष व्यवसाय—चालक वाहन डम्फर क.—एम.पी.—07 जी.—4621 स्थाई निवासी—ग्राम खडेर पुलिस थाना व तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. हाल निवासी—न्यू बिहार कॉलौनी, पिंटो पार्क, गोले का मंदिर ग्वालियर म.प्र.
2. कप्तान सिंह किरार पुत्र स्व. श्री गजराज सिंह उम्र—96 वर्ष व्यवसाय—मालिक वाहन डम्फर क.—एम.पी.—07 जी.—4621 निवासी—महावरी कॉलौनी, शब्द प्रताप आश्रम बहोडापुर, ग्वालियर म.प्र.
3. दि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा डिवीजनल मैनेजर कार्यालय, सनातन धर्म मंदिर रोड इंदरगंज लश्कर ग्वालियर म.प्र. **....अनावेदकगण**

31.07.2026 आवेदकगण द्वारा श्री आनंद साहू अधिवक्ता।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र अधिनिर्णय अनुसार जमा क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने बावत् पर आवेदकगण के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र में उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना दावा प्रकरण क्र.–169/2012 निराकृत दिनांक 30.06.2014 के अधिनिर्णय अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है। उक्त अधिनिर्णय के विरूद्ध क्षतिपूर्ति राशि बढाये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसका एम.ए. नं.–768/2014 है, जिसमें आवेदकगण के पक्ष में दिनांक 21.08.2025 को क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त राशि आवेदकगण प्राप्त करना चाहते हैं। आवेदक क्र.–4 अमित उर्फ कल्लू को पूर्व में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई थी, किन्तु दिनांक 29.04.2024 को प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो चुकी है जिस कारण वह अपने हिस्से की राशि प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हो सका। इसलिये आवेदक क्र.–4 के हिस्से की राशि उसकी मां आवेदिका क्र.–1 श्रीमती सरोज पत्नी अरविंद सिंह भदौरिया को प्रदान किये जाने का आदेश दिया जावे।

मूल दुर्घटना दावा प्र.क्र.–169/2012 का अवलोकन किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई एम.ए. नं.–768/2014 आदेश दिनांक 21.08.2025 अनुसार बढायी गई क्षतिपूर्ति राशि को आवेदकगण द्वारा दिनांक 13.01.2026 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते हुए आवेदक क्र.–4 अमित उर्फ कल्लू की मृत्यु हो जाने के तथ्य का प्रकटीकरण करने की दशा में उसके हित की राशि 1,50,000 रूपये को रोकी जाकर शेष राशि उनके हिस्से अनुसार आदेश पत्रिका दिनांक

03.02.2026 से शेष आवेदकगण को प्रदाय की जा चुकी है। अब केवल आवेदक क्र.–4 अमित उर्फ कल्लू की क्षतिपूर्ति राशि की ही अदायगी शेष है। जिसकी दिनांक 21.04.2024 को प्राकृति मृत्यु हो जाने का कारण बताया गया है।

आवेदिका श्रीमती सरोज ने प्रस्तुत आवेदन–पत्र के संदर्भ से स्वयं को परीक्षित कराते हुए समस्त आवेदकगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना तथा उसके पुत्र अमित उर्फ कल्लू के हिस्से की राशि उसकी मां होने के आधार पर उसे दिये जाने का कथन किया है तथा आवेदन–पत्र के समर्थन में अपना आधार कार्ड एवं अपने पुत्र अमित की मृत्यु का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया है।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन–पत्र के समर्थन में किसी अन्य आवेदकगण ने कोई आपत्ति अथवा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी दशा में मृतक आवेदक क्र.–4 अमित उर्फ कल्लू के पिता अरविंद सिंह भदौरिया की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की दशा में उसके वारिसान/आश्रित को अदायगी योग्य क्षतिपूर्ति राशि में उसके पुत्र अमित की मृत्यु हो जाने की दशा में तथा वह दुर्घटना दावा प्रस्तुति के समय अव्यस्क होने की दशा में उसकी माता व सरपरस्त आवेदिका श्रीमती सरोज को मृतक अमित उर्फ कल्लू के हिस्से की राशि प्रदाय की जाना उचित प्रतीत होती है।

अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र स्वीकार कर दुर्घटना दावा प्र.क्र. –169/2014 में प्रस्तुत की गई माननीय उच्च न्यायालय
की अपील आदेशानुसार वृद्धि की गई राशि का मृतक अमित उर्फ कल्लू के हिस्से में प्राप्त होने वाली 1,50,000 रूपये की राशि उसकी मां आवेदिका श्रीमती सरोज के पक्ष में अदायगी हेतु बाउचर बनाया जावे।

इस प्रकरण का परिणाम दर्ज होकर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

इस आदेश की प्रति मूल प्रकरण के संलग्न की जाकर वह भी पूर्व नंबर पर जमा करने हेतु दाखिल अभिलेखागार किया जावे।

सही/—
(साबिर अहमद खान)
सदस्य प्रथम मो.दु.दा. अधिकरण
ग्वालियर म.प्र.

SABIR AHMAD KHAN
Digitally signed by SABIR AHMAD KHAN
Date: 2026.07.31 16:55:33 +0530